## राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार -कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर। क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प-57 / 2010 / दिनांक :

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें. जोन-अजमेर।

5<sup>th</sup> Annual Conference of Indian Society of Cardiology

(17th-19th December, 2010, J.L.N. Medical Collage and Associated Group of Hospitals, Ajmer के क्रम में चिकित्सकों

को मनोनीत करने बाबत।

सन्दर्भ : शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,

राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ.17(52)चिस्वा/2/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.12.10 प्राप्ति दिनांक 15.12.10 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख हैं कि पत्र में वर्णित चिकित्सा अधिकारियों को आप अपने परिक्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों में से मनोनीत करते हुए इस कार्यालय को सचित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अति० निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें.

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-57/2010/८७७

दिनांक : | 6

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :-

1. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र मय संलग्नक को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें। (संलग्न : एक)

2. रक्षित पत्रावली।

Bornero

अति० निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें. राजस्थान जयपुर।

0,000-09.

## Government of Rajasthan अप म जार. जा. संस्था 4 Medical & Health (Gr-2) Department

No.F-17(52)M&H/Gr.2/2002-pt

Jaipur, dated 13/2/O

The Director(PH), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

Sub:- Regarding nomination of Doctors for the 5th Annual Conference of Indian Society of Cardiology.

Sir,

with reference to the above subject matter, I have been directed to inform that J.L.N. Medical College, Ajmer is organizing the 5th Annual Conference of Indian Society of Cardiology at Hotel Merwara Estate from 17-19 Dec., 2010 (copy enclosed)

Please arrange to nominate one senior specialist, one junior specialist, one senior medical officer and one medical officer from medicine and paediatrics. Period of conference will be to ated as on duty vide rule-7(8)(b)(i) of RSR.

Yours faithful,

Dy. Secretary to the Govt.

copy forded to Dr. Sanjiv Maheshwari, Organising Secretary, 5th Annual Conference of Indian Society of Cardiology, Medical College, Ajmer with reference to their letter dt.28-10-2010 for informatio and necessary action please.

Asistant Secretary to the Govt.

Sh.

10/12